वर्ष 8 अंक 10 अक्टूबर 1986 एक रुपया

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वर्किंग कमेटी मिटिंग

नई दिल्ली, सितंबर 24-26, 1986

अध्यक्षीय भाषण

बी.टी. रणदिवे

कामरेडो,

सबसे पहले मैं दिल्ली के कपड़ा मजदूरों की पिछले दिनों हुई हड़ताल के लिए कपड़ा मजदूरों को और इस हड़ताल को नेतृत्व देने व सफल समापन तक पहुंचाने और इसके साथ ही मजदूरों तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता बनाए रखने के लिए सीटू यूनियन तथा अन्य यूनियनों को बधाई देना चाहता हूं. कपड़ा उद्योग में गहराते संकट के बीच तथा कुछ मिलों को बंद कर देने की प्रबंधकों के अड़ियल रवैये के खिलाफ चलाई गई यह लम्बी हड़ताल निहायत ही एक कठिन काम था और सिर्फ मजदूरों की तथा उन्हें नेतृत्व देने वाले ट्रेड यूनियनों की दृढ़ एकता ही इस हड़ताल को सफल अंजाम दे सकता था. इसके फलस्वरूप अपने संगठनों तथा अपनी शक्ति में मजदूरों का यकीन पुख्ता हुआ है, उनमें एकता तथा एकजुटता की भावना मजबूत हुई और अब भारी तादाद में मजदूर यह समझने लगे हैं कि ट्रेड यूनियनों की एकता उनकी कुछ फौरी मांगें जीतने की दिशा में आवश्यक सफलता है. इन परिस्थितियों में और सौ से भी अधिक दिनों तक संयुक्तरूप से हड़ताल को संचालित करने के लिए—और मुमकिन है कि हजारों मजदूरों की हड़ताल को संचालित करने के क्रम में मतभेद होंगे इसके बावजूद-यह जरूरी था कि सभी यूनियन वर्गीय एकता के प्रति सचेतरूप से कायम रहें. इसमें कोई संदेह नही कि मतभेद हुए, ढुलमुलपन भी देखा गया और एकता बनाए रखने के लिए विभिन्न विचारों और आपसी मतभेदों के बीच समझौता करना पड़ा. हमें, अपनी सीटू से सम्बद्ध यूनियन को बधाई देनी चाहिए, जो मजदूरों की न्यूनतम मांग के लिए दृढ़ समर्थन के सिद्धांतनिष्ठ रुख पर कायम रही है और जिसने इसके साथ ही ट्रेड यूनियन एकता बनाए रखने के लिए अधिकतम चिंता दिखायी हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि एकता के लिए इस शानदार संघर्ष के बाद सीटू यूनियन की शक्ति बढ़ेगी और वह ट्रेड यूनियन एकता तथा मजदूरों की एकजुटता बनाए रखने में और ज्यादा योगदान करेगी.

बहरहाल, यह नहीं कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार तथा श्रम विभाग ने सचमुच ही मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अपने जिम्मेदारी को निभाया है. अगर प्रशासन, मालिकान पर, खासकर अड़ियल रुख अख्तियार करने वाले प्रबन्धकों के उस हिस्से पर जोड़ दबाव डाले होते तो इस मसले का हल सम्पूर्णरूप से मजदूरों के पक्ष में होता.

साथियों, जनरल काउंसिल मिटिंग के बाद के इन महीनों में सीटू की गतिविधियों में तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भारी तेजी आई है. फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष के दिवस के रूप में 9 अगस्त का पालन, हिरोशिमा तथा नागासाकी दिवस का मनाया जाना तथा 1 सितम्बर के विशाल शांति प्रदर्शन, यही दिखाते हैं कि विश्व शांति के लिए और फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष के लिए, हमारे मजदूरों में जागरूकता बढ़ रही हैं. इसके अलावा, अनेक राज्यों में सीटू यूनियनों ने बेरोजगार मजदूरों का सवाल उठाना शुरू किया है और इस सिलसिले में कन्वेन्शनों तथा प्रदर्शनों के आयोजन किए हैं. इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कई राज्यों में हमारे सीटू राज्य कमेटियां असंगठित उद्योगों के मजदूरों को संगठित करने के सवाल पर भी कदम उठाए हैं. अनेक राज्यों में, सीटू राज्य कमेटियां कामगार महिलाओं तथा उनकी समस्याओं की ओर भी ध्यान दे रहे हैं. पर हमें इस बात को नोट करना होगा कि आमतौर पर हमारी ट्रेड यूनियन गतिविधियों में कामगार महिलाओं के प्रति उपेक्षा तथा उदासीनता का ही रवैया दिखाई देता है, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति सामन्ती रवैये का ही सबूत है. अनेक राज्यों में, जहां बीड़ी आदि असंगठित उद्योगों में हजारों महिलाएं कार्यरत हैं, सीटू यूनियनें उन्हें संगठित करने तथा उनके लक्ष्यों के लिए लड़ने के लिए शायद ही कमी सामने आती है. ट्रेड यूनियन आंदोलन

अक्तूबर 21—22 को सार्वजनिक क्षेत्र सम्मेलन

को कमजोर बना रहे इस भटकाव को, जल्द से जल्द दूर करना होगा. हर सीटू राज्य कमेटी को, सभी ट्रेड यूनियनों के कामकाज की निगरानी के लिए एक कामगार महिला सेल गठित करना चाहिए, ताकि कामगार महिलाओं की समस्याओं की उपेक्षा न हो सके.

कामरेडों, जनरल काउंसिल की पिछले अप्रैल में हुई बैठक में हमने सार्वजनिक क्षेत्रों को नीचा दिखाने का राजीव गांधी सरकार की नीतियों को नोट किया था और यह पाया था कि समूचे देश के हितों के लिए इसके खतरनाक परिणाम होंगे. सच्चाई यही है कि नयी आर्थिक नीति वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर तरह के उद्देश्यपूर्ण नियोजन का भी खात्मा करने की है. सालों से विश्व बैंक की भी मांग यही रही है और राजीव गांधी की नई आर्थिक नीति इसे पूरा करने में ही मदद करेगा.

बहरहाल, राजीव गांधी जनता को यह आश्वासन देते रहे हैं कि हमारे अर्थनीति में सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान बना रहेगा और कि इसका महत्व गिराने या इसके विघटित होने का कोई खतरा नहीं है. पर सरकार की वास्तव नीति इसके विपरीत हीं है. यह भी देखा गया है कि एक काबिना मन्त्री को सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ जिहाद छेड़ने की भी छूट दी गई है. सार्वजनिक क्षेत्र की इस तरह भर्त्सना निजी क्षेत्र के स्वार्थी ही कर सकते हैं.

राजीव मन्त्रीमण्डल के सदस्य श्री बसंत साठे ने टाइम्स ऑफ इण्डिया में हाल में लिखे गए अपने आलेख में कहा है, "बहरहाल, शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पूर्ण अबधारणा ही खर्चीले और गैर-जीवनक्षम वाली रही है. जनता के लिए जल्द से जल्द और अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की हमारी उत्साह के कारण ही हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए थे." नीजि क्षेत्र के प्रति अपने उत्साह में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता के नाम पर साठे इस बात को भूल जाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका रही है महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना करना ताकि पश्चिमी साम्राज्यवादियों पर हमारी निर्भरशीलता घटाया और खत्म किया जा सके. और इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र में अब उन्हें तमाम बुराइयां ही नजर आने लगी है.

साठे का कहना है, "इस तरह भारतीय समाजबाद के नाम पर हमने गतिहीन, कीमती, अकुशल और गैर-प्रतियोगिता संपन्न और गैर-जिम्मेदाराना उत्पादन प्रणाली ही हासिल कर पाये हैं." विश्व बैंक भी श्री साठे से पूरी तरह एकमत होंगे क्योंकि भारतीय अर्थनीति को सम्पूर्णरूप से अपने कब्जे में लेने के लिए विश्व बैंक भी इसी तरह के भर्त्सनापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करती रही है. और साठे में उन्हें ऐसा ही एक जबर्दस्त समर्थन मिला. कुशलता के नाम पर साठे भी वही मांग कर रहे हैं जो सभी पूंजीपति करते हैं. उनका कहना है, "प्रबंधन को पूरी आजादी और अधिकार दिए जाना चाहिए, समय या आयु पर कोई पाबन्दी नहीं होना चाहिए, योग्यता और काम को पूरा करने की क्षमता ही केवल आधार होना चाहिए... उत्पादन और उत्पादन कुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी और ओर आधुनिक प्रबन्ध तरीका लागू करने के लिए प्रबन्धकों को सम्पूर्ण अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराये जाना चाहिए. उत्पादकता का स्तर बिश्वमान के बराबर का होना चाहिए. समय आ गया है कि अब हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के इकाइयों के बीच के नकली परिभाषा को छोड़ दें. अब दोनों ही क्षेत्र को कुछ बुनियादी राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप काम करना होगा." साठे न केवल सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने की बात कर रहे हैं बल्कि मालिकान को यह आजादी भी देने की तरफदारी कर रहे हैं जिससे कि मजदूरों को मनमाने ढंग से रखने-निकालने, रोजगार पर उसका असर सोचे बगैर नए-नए तकनीकी को लागू करने के लिए प्रबन्धकों को खुली छूट मिल जाय.

उत्पादन प्रणाली में कुशलता बढ़ाने की इस दौर में मजदूरों के रोजगार और जीवन के बारे में कोई चिंता ही नहीं. साठे का दावा यह है कि उत्पादन में कुशलता लाने की एकमात्र गारंटी है कि अर्थनीति पर निजीक्षेत्र का सम्पूर्ण नियंत्रण हो जबकि भारत में सैकड़ों संस्थाएं बीमार पड़ी है जो निजी मालिकान के दिवालिएपन को ही उजागर करता है. इसके अलावा, साठे शायद अमरीका एवं अन्य पश्चिमी देशों के आर्थिक अवस्था से भी वाकिफ नहीं जहां निजी क्षेत्र का ही राज है जिसमें बेरोजगारों के फौज और दीर्घस्थाई संकट निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है.

यह स्वतः स्पष्ट है कि साठे की आवाज एक अकेले केन्द्रीय मंत्री की आवाज नहीं है. उन्होंने वास्तव में राजीव गांधी की आर्थिक नीति के असली सार को अभिव्यक्त किया है और इसीलिए उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ अपनी भड़ास खुले तौर पर निकालने की इजाजत दी गयी है.

और अब ऐसा लगता है कि निजी क्षेत्र के माहिर प्रतिनिधियों को केन्द्रीय परियोजनाओं पर अमल की निगरानी के लिए कहा जा रहा है. इस साल जून के महीने में रतन टाटा तथा अन्य निजी क्षेत्र के पूंजीपतियों की अध्यक्षता में, केन्द्रीय परियोजनाओं पर अमल की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श समिति का गठन किया गया था. इन तमाम वर्षों में मूल अवधारणा यह थी कि निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार बढ़ता हुआ नियन्त्रण कायम हो. लेकिन, अब केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा किये जाने को, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के नियंत्रण में सौंपने की तैयारी की जा रही है,

सीटू ने, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण के इस प्रयास का जबर्दस्त विरोध करते हुए इस बात को दिखाया था कि किस तरह ऐसे कमेटी का गठन करके मन्त्रालय ने त्रिपक्षीय वार्त्ता के वसूलों को और प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी के सरकार की अपनी ही प्रस्तावों का उल्लंघन किया है. सीटू ने यह भी बताया था कि, "यह, केन्द्रीय श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के सवाल पर गठित समिति के काम-काज को

भी अप्रासंगिक बना देगा. सच्चाई यह है कि राजीव सरकार की नयी आर्थिक नीति, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के साथ लगातार बढ़ते भेदभाव और विदेशी पूंजी की ओर सोचे-समझे झुकाव की ओर ले जा रही है. इसका मतलब यह है सार्वजनिक क्षेत्र पर दो तरफ से हमला हो रहा हैं—एक ओर तो उनका निजीकरण करने की, उसे भारतीय पूँजीपतियों के हवाले करने की कोशिशें हो रही हैं और दूसरी ओर उसे नाकारा बना देने की, विदेशी पूंजी को उसमें घुसपैठ कर उस पर प्रभुत्व कायम कर लेने-देने की कोशिशें हो रही है.

अखबारों की रिपोर्टों के अनुसार, तार संचार विभाग (डी ओ टी) 700 करोड़ रु. के दूरसंचार उपकरणों के आयात की भारी योजना बना रहा बताते हैं, जिससे कि भारतीय उद्योग के चौपट हो जाने का खतरा पैदा हो जायेगा. भारतीय प्रेस भी अब इस पर गौर कर रहा है कि राजीव गांधी सरकार की आर्थिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी बहुराष्ट्रीय पूंजी के प्रभुत्व की ओर धकेल रही है.

5 मई के टाइम्स ऑफ इण्डिया के अनुसार, "भारी कुशलता से चलाई जा रही कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों पर सरकार जबर्दस्त हमला बोलने की साजिश कर रही है. तथाकथित अनिवासी कुशलता के प्रयोग के जरिए इसे खत्म करने की बात कही जा रही है. यद्यपि अनुमान है कि सरकार एक साथ मिलकर इस संयुक्त उद्यम में 200 करोड़ रु. से भी अधिक विनियोग करेंगे फिरभी नई कम्पनी के काम-काज में इनका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा. इसका नियन्त्रण 51 फीसदी इक्विटी वाले अनिवासी भारतीय कम्पनी के हाथों में रहेगा.

यह अनिवासी भारतीय कम्पनी एम.एस. पाठक की है जो, एक राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका के टीकाकार के अनुसार, "संदेहपूर्ण परिस्थितियों में अचानक इंजीनियर्स इण्डिया जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की सलाहकार प्रतिष्ठान के चेयरमैन का पद छोड़कर एक अमरीकी विदेशी कम्पनी में इससे नीचे पद में काम करना स्वीकार कर लिया. यही वह व्यक्ति है जो अनिवासी भारतीय कम्पनी के उच्चतम पद सम्भाले हुए हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों पर मशवीरे के नाम पर थोपी गई एम.एस. पाठक की अनिवासी भारतीय कम्पनी वास्तव में एक अमरीकी फार्म, बूज एलेन हैमिलटन के साथ चल रहा संयुक्त उद्यम है. राजीव सरकार की सावजनिक क्षेत्र पर अपनाई जा रही नीति का असली चेहरा यही है.

यह स्वतः स्पष्ट है कि समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा मजदूर वर्ग को, इस राष्ट्रविरोधी नीति के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिसके चलते देश में सार्वजनिक क्षेत्र के विदेशी पूंजी के हाथों गिरवी रखे जाने का खतरा है. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की सीटू से सम्बद्ध यूनियनों तथा अन्य यूनियनों ने मिलकर पहले ही इन समस्याओं को उठाना शुरू कर दिया है और इस नीति की भर्त्सना करने के लिए अनेक कन्वेन्शनों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया है और इसके खतरों के बारे में आगाह किया है. ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की एक अखिल भारतीय कन्वेन्शन बुलायी है, ताकि राजीव सरकार की इस राष्ट्र-विरोधी नयी आर्थिक नीति के खिलाफ, मजदूर वर्ग के जोरदार विरोध को स्वर दिया जा सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस खतरनाक नीति को शिकस्त देने के लिए समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को लामबन्द होना चाहिए.

अमरीकी बहुराष्ट्रीय विशेषज्ञता के संरक्षण में, कुशलता की मुहिम का लागू होना, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार, मजदूरी तथा जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष हमले का ही संकेत हैं. साठे के पूरे लेख की कोशिश यही है कि मजदूरों को, समस्या की जड़ के रूप में पेश किया जाय. जरूरत से ज्यादा लोग काम पर लगे हैं, बहुत कम काम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिहाज से उत्पादकता बहुत कम है—ये हैं युद्ध की पुकारें. इन सबके निदान के लिए, नयी तकनीकी लानी होगी और हजारों मजदूरों को काम से हटाना होगा. यह एक नयी ही श्रम नीति है, जो नयी आर्थिक नीति का तार्किक परिणाम है.

मजदूरों से और ज्यादा उत्पादन की मांग, मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ना, उत्पादकता मानकों को मनमाने ढंग से तय करना, स्वैच्छिक रिटायरमेंट योजनाए, ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश की गयी नयी मांगों पर वार्ताओं के मामले में टालमटोल, ट्रेड यूनियनों को ऐसे स्वार्थी तथा अविवेकपूर्ण संगठनों के रूप में चित्रित करने के लिए—जिन्हें समाज तथा असंगठित मजदूरों की कोई परवाह ही नहीं हैं—खुली प्रचार मुहिम का चलाया जाना; ये हैं मजदूरों के खिलाफ सरकार तथा मालिकान के हमले के जाने-पहचाने हथियार. वेतन जाम की मांग भी ज्यादा से ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है.

इस सबके बावजूद, अगर मजदूरों पर आम हमला नहीं बोला गया है, तो इसका श्रेय ट्रेड यूनियनों को जबर्दस्त शक्ति को ही जाता है, जो साझा खतरे का मुकाबला करने के लिए लगातार बढ़ती एकता का प्रदर्शन कर रही है. वेतन आयोग की यह सिफारिश की सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन आदि को, केन्द्र सरकार कर्मचारियों के समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के वेतन स्तर पर हमले का ही पूर्व संकेत है.

पर अब यह देखा जा रहा है कि श्रमिकों के प्रति बढ़ती शत्रुता का पहल अब सीधे प्रधानमन्त्री खुद कर रहे हैं. हाल ही में मान्यताप्राप्त यूनियन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था रेअर अर्थस् के प्रबन्धकों के बीच समझौते को उलटने के लिए, राजीव गांधी ने खुद हस्तक्षेप किया था. जबकि न ही केन्द्रीय वित्त मंत्री और न सार्वजनिक संस्थान विभाग ने समझौते के शर्तों पर कोई विरोध प्रकट किया था. किसी समझौते पर प्रधान मंत्री के इस मनमाने और अभूत पूर्व हस्तक्षेप, श्रमिको के प्रति राजीव गांधी की बढ़ती शत्रुता को ही उजागर करता है.

साथियों श्रम के खिलाफ यह मुहिम औद्योगिक विवाद तथा

ट्रेड यूनियन कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों में भी अभिव्यक्ति होती है. जिनका एक मात्र मकसद ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और हड़तालों को करीब-करीब प्रतिबंधित ही कर देना हैं. ऐसा लगता है कि "औद्योगिक शांति" की गारंटी करने के लिए अब, एस्मा और राज्य सरकारों को किसी भी उद्योग को आवश्यक उद्योग करार देने का अधिकार देना भी काफी नहीं रह गया है. इस लिए, सरकार अपने हाथों में और ज्यादा अधिकार बटोर लेना चाहती है, ताकि हर तरह की प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोका जा सके और इस तरह यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुरू से ही बचाव का कोई हथियार मजदूरों के हाथ में न रहे. इस सबके ऊपर से, यूनियनों का रजिस्ट्रेशन के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव किया जा रहा है, ताकि जुझारू ट्रेड यूनियनों के विकास पर अंकुश लगाया जा सके और सरकार की कुछ चहेती यूनियनों के हाथों में मजदूरों के प्रतिनिधित्व की इजारे दारी सौंपी जा सके, और इस सबके अलावा ट्रेड यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति पर ही अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है. यह प्रस्तावित संशोधन सनत मेहता कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है जिसका कि सीटू ने बहुत पहले ही भर्त्सना की है.

एक संशोधन यह पेश किया जा रहा है कि सुलह-समझौते का प्रयास विफल हो जाने के बाद राज्य या केंद्र सरकार के आग्रह पर किसी भी औद्योगिक विवाद को औद्योगिक संबंध के फैसले के लिए भेजा जा सकेगा. औद्योगिक संबंध आयोग सरकार के हाथों में एक स्थायी फैसला निकाय के रूप में मौजूद हैं, जिसके जरिए हड़तालों को टाला जा सकता है मजदूरों की कार्रवाइयों को रोका जा सकता है और ट्रेड यूनियनों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए मजबूर किया जा सकता है. अनुभव बताता है कि सरकार की शक्ति की हमेंशा मजदूरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें कारंवाई तथा संख्या की शक्ति के एक मात्र वैधानिक औजार से वंचित करने की कोशिश की जाती है. जाहिर है कि आयोग हमेशा श्रम के प्रति सरकार की नीति से ही निर्देशित होगा, यह मजदूरों पर अनिवार्य पंच फैसला थोपने का ही, हथकंडा है और इसे हर ऐसे मामले में इस्तेमाल किया जायेगा जहां मालिकान का पक्ष कमजोर हो और मजदूरों के जीतने की संभावना हो. शायद इक्कीसवींसदी में औद्योगिक सम्बन्धों के ओर राजीव गांधी का पहला कदम यही हैं. हड़ताल तोड़क इस संयंत्र को कानूनी तौर से जायज रूप देने के लिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश स्तर के व्यक्ति को इस संयंत्र का अध्यक्ष बनाने की बात कही गई जिन्हें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार नियुक्त किया जाएगा. उन्हें ऊंची तनख्वाह पर लम्बे समय तक के लिए नियुक्त किया जाएगा जबकि भाड़े के हड़ताल तोड़कों को कम पैसे और सिर्फ अस्थायी नियुक्ति ही मिलती है. इस आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति इस ऊंची तनख्वाह वाले हड़ताल तोड़क के सलाह मशविरे पर होंगी.

वह दिन अब गए जब मजदूरों को न्याय के पोषाक पहने और निष्पक्ष न्याय दिलाने का ढोंग रचने वाले इन हड़ताल तोड़कों के जरिए धमकाया फुसलाया जा सकता है.

इन श्रम अदालतों का निम्नलिखित काम काज होगा:—

(i) निलंबन, बर्खास्तगी, छंटनी या सेवा समाप्ती के संदर्भ में किसी श्रमिक के व्यक्तिगत विवाद देखना

(ii) किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों का व्याख्या और उसे लागू करना या स्थायी आदेशों के तहत जारी आदेश कानूनी रूप से जायज है या नहीं देखना

(iii) सामूहिक सौदेबाजी/एजेंटों कांउसिलों को मान्यता पत्र देना (साथ ही, अनफेयर लेबर प्रैक्टीस के नाम पर उनका मान्यता रद्द कर देने का अधिकार)

(iv) नौकरी में स्थायी बनाना, वरीयता, पदोन्नति, पदावनति, समय से पहले अवकाश, सुपर एन्युयेशन, छुट्टी, अनुशाषनात्मक कार्रवाई, वेतन तथा अवकाश सुविधाएं सम्बंधि व्यक्तिगत विवादों को देखना.

श्रम अदालतों के काम काज को इस प्रकारपरिभाषित किया गया है कि श्रम आयुक्तों की जिम्मेदारियों तथा कामों को अब श्रम अदालतों को सौंप दिया जाएगा इस प्रकार एक तो सरकार की जिम्मेदारी घटेगी और दूसरी ओर यह भ्रम पैदा किया जा सकेगा कि नई "निष्पक्ष" संस्था से मजदूरों को न्याय मिलेगा.

ट्रेड यूनियनों की मान्यता के सिलसिले में प्रतिक्रियावादी प्रावधान भी है, यह मान्यता, चेक-आफ प्रणाली के अंतर्गत तय की गई सदस्यता के आधार पर दी जाएगी, मजदूरों की गुप्त मतदान के आधार पर मान्यता दिए जाने की जनतांत्रिक मांग को ठुकरा दिया गया है ताकि इंटक की स्थिति को मजबूत किया जा सके. औद्योगिक संबंध के इस मजदूर वर्ग विरोधी हड़ताल विरोधी लाइन का जो विनाश कारी प्रभाव पड़ेगा उसे सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ जंग छेड़ने वाले राजीव मंत्री मंडल के सहयोगी वसंत साठे तक ने नोट किया "हाल के वर्षों में इसका एक प्रमुख और भयानक मिशाल है बम्बई के कपड़ा उद्योग जो पिछले दो सालों से बंद पड़ी हैं जिससे दो लाख के करीब मजदूर बेकार हो गए हैं और इस अवधि में उत्पादन में अरबों रूपए का नुकसान हुआ है. और कपड़ा उद्योग में इस झगड़े का मुख्य कारण रहा है एक विशेष यूनियन (इंटक यूनियन) को ही मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा देने की प्रबंधकों के अड़ियल रूख, जिसे दुर्भाग्यवश सरकार ने भी समर्थन किया. यह यूनियन, अपनी प्रतिष्ठा, मजदूरों के बीच उनके प्रति समर्थन और अपनी सदस्यता के बारे में किसी जनवादी तरीके से प्रमाणित करने और विशेष कर गुप्त मतदान के जरिए चुनाव के लिए राजी नहीं है. यह चाहती है और इसके लिए दवाब डाल रही है कि इसे सदस्यता जांच के किसी अन्य तरीके से मान्यता दी जाय और राजनीतिक रूप से सरकार से जुड़े रहने के कारण वह जानती है कि सरकार उसे समर्थन देगी."

"यही वह चीज है जो इस देश के समूचे मालिक-मजदूर संबंध के आड़े आ रही है. जब मजदूरों के बीच इस यूनियन की

प्रतिष्ठा बनी हुई थी तब मालिक और मजदूर के बीच के सम्बंध में कोई संकट नहीं था. पर जब इस तथाकथित यूनियन की प्रतिष्ठा मजदूरों के बीच नहीं रही और जब किसी जनवादी तरीके से इसने अपनी प्रतिष्ठा कायम करने से इंकार कर दिया तो स्थिति बिगड़ने लगी. नतीजा यह हुआ कि तमाम उद्योग ही लम्बी हड़ताल से अस्त-व्यस्त होने लगा. इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि मालिक-श्रमिक संबंध के इस वर्तमान ढांचे में मजदूरों के लिए सौदेबाजी एजेंट की मान्यता दिए जाने का एक मात्र सही तरीका समय समय पर (दो साल के लिए) और उस प्रतिष्ठान के मजदूरों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए सौदेबाजी एजेंट का चुनाव हो. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औद्योगिक विवाद कानून में उचित संशोधन लाना होगा." (साठे — सोशल रिवोल्यूशन, पृष्ठ-182-183)

जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ साठे का जिहाद को उनके सहयोगियों ने चुपके से सराहा है, गुप्त मतदान के उनके तर्क को सबने रद्द कर दिया. प्रस्तावित संशोधन, सदस्यता जांच के चेक-ऑफ प्रणाली पर निर्भर शील है जिसका भारत की स्थिति के संदर्भ में मतलब होगा मजदूर वर्ग के कीमत पर, संरक्षण प्राप्त यूनियन को आर्थिक सहायता दिलाते रहने की गारंटी.

यही नहीं, इसमें एक भयंकर प्रावधान भी रखा गया है. जो अनिच्छुक मजदूर को अपनी इच्छा के खिलाफ (मालिकान या सरकार की) चहेती यूनियन में शामिल होने के लिए बाध्य करता है, इस संशोधन के अनुसार, "ऐसे मजदूरों को जो गैर रजिस्टर्ड यूनियन के सदस्य होंगे तीन महीने के अन्दर-अन्दर रजिस्टर शुदा यूनियनों में से किसी एक में शामिल होने का मौका दिया जाएगा. अगर ये मजदूर तीन महीने की अवधि में किसी रजिस्टरशुदा यूनियन में शामिल होने का फैसला नहीं करते हैं तो उनकी यूनियन फीस सौदेबाजी के मुख्य एजेंट (यूनियन) या परिषद—जैसी भी स्थिति हो — के पक्ष में काट ली जाएगी," इस तरह मजदूरों को अपने वोट के जरिए यूनियनों के प्रतिनिधि या गैर प्रतिनिधि होने का फैसला करने के अधिकार से तो वंचित किया ही जा रहा है ऐसी यूनियनों से अलग रहने के भी अधिकार से वंचित किया जा रहा है जिनमें उनका विश्वास ही न हो. यह एक खतरनाक प्रावधान है सिर्फ हिटलर ही था जिसने मजदूरों के लिए फासिस्ट यूनियनों में शामिल होना अनिवार्य बना दिया था, चेक-आफ प्रणाली यहीं ले जा सकती है. पहले तो मजदूरों को चहेती यूनियनों में शामिल होने पर मजबूर कर दो और फिर उन्हें सौदेबाजी का मुख्य एजेंट करार दे दो! चेक-आफ प्रणाली इस बात पर आधारित है कि हर मजदूर प्रबंधकों को यह बताए कि वह किस यूनियन से सम्बद्ध है. मजदूरों को इसमें सही ही यह खतरा दिखाई देता है कि अगर वे मालिकान की चहेती यूनियन में शामिल नहीं हुए, तो उन्हें विक्टिमाइज किया जाएगा, अब नए संशोधन के अंतर्गत यह कायदा बना दिया जाएगा कि अगर मजदूर चहेती यूनियन के पक्ष में राय न दें तब भी उन्हें उसी का सदस्य मान लिया जायेगा!

चेक-आफ प्रणाली के आधार पर सौदेबाजी का एजेंट तय करने का प्रावधान कठपुतली यूनियनों को बढ़ावा देने का ही औजार है और मजदूरों की जुझारू ट्रेड यूनियनों के उभरने के खिलाफ एक साजिश है.

इसके अलावा यह प्रावधान भी है कि कोई भी यूनियन तब तक रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित उद्यम के 25 फीसदी सदस्य शामिल न हों. इसके विपरीत, मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत किसी यूनियन को रजिस्टर करने की एक-मात्र शर्त यह है कि संबंधित प्रार्थना पत्र पर सात लोगों के दस्तखत होने चाहिए. नए संशोधन के जरिए सीधे-सीधे बढ़ती हुई जुझारू यूनियनों को रजिस्ट्रेशन से वंचित करने और इस प्रकार सौदेबाजी तथा समझौते की बात चीत में हिस्सेदारी से वंचित करने के ही कोशिश की जा रही है. इसका मकसद यही है कि मजदूरों के प्रतिनिधित्व का इजारा कुछ ऐसी यूनियनों के हाथों में बना रहे, जो जुझारू संघर्ष के लिए नहीं जानी जाती हैं. वास्तव में नया संशोधन, मजदूरों की जुझारू यूनियनों की भावी प्रगति रोकने का ही औजार है.

इसके अलावा, मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर भी नई सीमाएं लगाई गई हैं. मजदूरों का बहुमत अगर हड़ताल के पक्ष में हो, तब भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते. अब हड़ताल तभी कानूनी मानी जाएगी, जब सभी सौदेबाजी के एजेंटों की सदस्यता का 75 फीसद हिस्सा हड़ताल के पक्ष में वोट दें, इस प्रकार 25 फीसद से थोड़ा ज्यादा होने पर ही अल्पमत, किसी भी हड़ताल के खिलाफ वीटो कर सकता है. इस नए संशोधन से मजदूरों के खिलाफ तानाशाही की मुहिम पूरी तरह से उजागर हो जाती हैं और समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए तथा इसे ठुकरा देना चाहिए.

चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों से केन्द्र सरकार कर्मचारियों को बड़ी निराशा हुई है. सार्वजनिक क्षेत्र के साथ वेतन समकक्षता की मांग को सीधे-सीधे ठुकरा दिए जाने से भी लोगों में बड़ी निराशा पैदा हुई है.

कर्मचारियों के इन दो तबकों के बीच वेतन आदि का अंतर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता गया है और यह चीज केन्द्र सरकार कर्मचारियों के प्रतिकूल गई है. कोई कारण नहीं था कि इन कर्मचारियों के मामले में समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू न किया जाय. अगर कर्मचारियों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है, तो इसके लिए सिर्फ वेतन आयोग को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ट्रेड यूनियन आंदोलन तथा मजदूर वर्ग के संघर्षों का इतिहास यही बताता है कि महत्व पूर्ण मांगें सिर्फ तभी जीती जा सकती हैं जब मालिकान का सामना कर्मचारियों की एकजुट कार्रवाई से हो वर्तमान स्थिति में मामला इस तरह का नहीं था. वेतन आयोग

ने पहले ही कर्मचारी संगठनों को नियंत्रित कर रहे कुछ नेताओं को अच्छी तरह विश्वास में ले लिया था. इसी से वेतन आयोग ऐसी सिफारिशें तय करने की हिम्मत जुटा सका जिन पर विरोध होने का उसे भी अनुमान था, लेकिन, इसके साथ ही, उसे यह यकीन भी था कि इस पर कोई एकजुट तथा सुसंगत कार्रवाई नहीं हो सकेगी.

इसके बावजूद जिस प्रकार वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लाभों, वेतन तथा महंगाई भत्ते आदि के सारे प्रश्नों का निपटारा किया है, उसकी भर्त्सना किए बिना नहीं रहा जा सकता है.

हाल के सालों में कर्मचारियों तथा मजदूरों को बढ़ती महंगाई तथा जीवन मूल्य से अपनी वास्तविक मजदूरी की रक्षा करने के लिए बार-बार बचाव की स्थिति में आना पड़ा है, वेतन आयोग तथा अधिकारियों ने उनकी कुल प्राप्तियों के आंकड़ों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि मजदूर तथा कर्मचारी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा लिए जा रहे है, जबकि सचाई यह है कि ये मामूली बढ़ोतरियां कीमतों तथा जीवन मूल्य सुचकांक में बढ़ोत्तरी तक को पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाने के लिए नाकाफी है. आंकड़े देकर यह साबित किया जा सकता है कि आम कर्मचारियों के जीवन स्तर में कोई खास सुधार नहीं हुआ है. दूसरी ओर चार अंकों के वेतन के बावजूद कर्मचारियों को अपने पारिवारिक बजटों को पूरा करने में, शिक्षा तथा न्यूनतम सभ्य जीवन की दूसरी जरूरतें पूरी करने में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है. वेतन आयोग ने सिफारिशें करते हुए इन सब सचाइयों की अनदेखी की है उसका मुख्य मकसद तो, सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना ही रहा है.

ऐसा लगता है कि सरकार ने खुद इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि वेतन आयोग की शिफारिशों से कर्मचारियों के वेतन पर आने वाले खर्च में कोई खास बढ़ोत्तरी न हो सके, वेतन आयोग नियुक्त करने से पहले ही सरकार ने नई नियुक्तियां न करने और रिक्तियां न भरने की नीति अपना रखी थी. इन तीन चार सालों में 20 से 24 फीसद तक पद खाली रहे हैं और निकट भविष्य में भी उनके भरे जाने की कोई खास उम्मीद नहीं है.

अनुमान है कि इस प्रकार नौकरियां घटाकर सरकार ने जो खर्चा बचाया है वह वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर आने वाले अतिरिक्त खर्च से कम नहीं बैठेगा, इसके अलावा, महंगाई भत्ते की हर छः महीने बाद समीक्षा करने की वेतन आयोग की सिफारिश, कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के लिए मुआवजे के अपने जायज अधिकार से वंचित करने की धोखाधड़ी के सिवाय और कुछ नहीं है.

दो बच्चों के बाद महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ न देने से संबंधित सिफारिश तो और भी भयंकर है. बहुत असभ्य लोग ही इस तरह की सिफारिश करके यह समझ सकते हैं कि उन्होंने देश में परिवार नियोजन के प्रति अपना दायित्व पूरा किया है. अगर सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है, तो वह अपने मुंह पर वैसे ही कालिख पोत रही होगी, जैसे कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से संबंधित विधेयक के जरिए उसने पोती है.

वेतन आयोग की सैकड़ों पेज लम्बी रिपोर्ट में कामगार महिलाओं के संबंध में एक पन्ना मात्र है. कुछ पत्रिकाओं ने इस रिपोर्ट को अगर अंधपुरूषत्ववाद का प्रदर्शन कहा है तो गलत नहीं कहा है. ऐसा लगता है कि कामगार महिलाओं के सामने आनेवाली समस्याओं का उन्हें कुछ एहसास तो है लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए रचनात्मक सिफारिशें करने का साहस नहीं हैं. और तो और इसमें इस बात तक का जिक्र नहीं किया गया है कि कामगार महिलाओं को स्त्री होने के कारण दुर्व्यवहार का निशाना बनाया जाता है और कुछ अधिकारियों के ऐसे अत्याचारपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे. दुर्भाग्य से, कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों ने भी इस महिलाविरोधी रूख के खिलाफ और महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज नहीं उठाई है.

जिस एक और बात के लिए रिपोर्ट की आलोचना की गई है और ठीक ही की गई है यह है कि कर्मचारियों के ऊंचे हलकों तथा अफसरान के वेतन तथा अन्य लाभों में बड़ी भारी बढ़ोतरी की गई है. यहां स्थिति साधारण कर्मचारियों के लिए की गई सिफारिशों से ठीक उल्टी है. इसकी एक वजह शायद यह है कि ऊपर के हलकों को पिछले वेतन आयोगों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था. लेकिन शायद पूरी बात यह भी नहीं हैं. तकनीकी तथा आर्थिक सेवाकर्मियों के खिलाफ भी भेद भाव किया जा रहा है और उनकी शिकायत है कि आम सेवा अफसरान को विशेष रियायतें दी गई हैं तथा विशेष बर्ताव दिया जा रहा है. आखिर क्यों? इसकी वजह यह हैं कि जहां तकनीकी तथा आर्थिक सेवाओं के लोग पूंजीवादी समाज के कामकाज को बेहतर भर बनाने का काम करते हैं, आम सेवा अफसरान तो राज्य के ढांचे के मुख्य रखवाले ही हैं. निचले वर्गों तथा उनके आंदोलनों से राज्य की रक्षा की मुख्य जिम्मेदारी तो उन्हीं के कंधों पर है. इसीलिए पिछले कुछ अर्से तक उनकी बफादारी पर दबाव रहने देने के बाद, अब सरकार उन्हें आश्वस्त करना चाहती है कि उन्हें वफादारी का सिला दिया जायेगा और उन्हें कर्मचारियों तथा जनता से निपटने में मुस्तैद रहना है.

इस सिलसिले में अगर ट्रेड यूनियन नेता तथा कर्मचारी इस मामले में जुबानी विरोध प्रकट करने के बाद एक बार फिर विसंगतियों तथा मामूली रियायतों से ही उलझकर रह जाते हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा. उन्हें कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय को खत्म कराने के लिए अपनी कतारों को एकजुट करना चाहिए, अगर कर्मचारी संगठन इस संघर्ष के लिए एकजुट हो जाएं तो समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन की ताकत उनके साथ होगी.

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

देश की अर्थव्यवस्था के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताजा-तरीन रिपोर्ट में यह वादा किया गया है 1986-87 के दौरान अर्थव्यवस्था की हालात पिछले दो वर्षों के मुकाबले बेहतर होने जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में कहीं ज्यादा प्रगति होने जा रही हैं और वास्तविक राष्ट्रीय आय कम से कम पांच फीसद होने जा रही है. जबकि 1985-86 में यही दर चार फीसद रही थीं और 1984-85 में 3.7 फीसद. विश्व बैंक तथा योजना आयोग कहते रहे हैं कि पांच फीसद की विकास दर तो न्यूनतम आवश्यक दर है जिसके बिना आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाने वाली है और पांच फीसद की यह दर भी इस लिहाज से सिर्फ तभी पर्याप्त हो सकती है जब इसके साथ-साथ निर्यातों में 6 फीसद सालाना की दर से बढ़ोतरी हो रही हो. मौजूदा संकेतों से तो यही लगता है कि पांच फीसद विकास दर का जो वादा किया गया है पूरा होने वाला नहीं है, ताजा रिपोर्टों से पता चलता है कि देश के विशाल हिस्से अपर्याप्त बारिश तथा सूखे की गिरफ्त में है जिसका कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा. दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में भी गति नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि नई आर्थिक नीति के चलते विदेशी प्रतियोगिता के कारण अनेक उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बीमार उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है और बेकारों की तादाद भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, आधुनिकीकरण की मुहिम के चलते, जिसका मतलब उद्योग को पूंजी सघन बनाना होता है, रोजगार में बढ़ोतरी की दर घटती जा रही है. हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 1973-74 से 1982-83 के बीच रोजगार सिर्फ 3.7 फीसद की दर से बढ़ा था. जबकि स्थायी पूंजी 29 फीसद की दर से बढ़ी थी, सातवीं योजना में रोजगार में 3.99 फीसद बढ़ोतरी की कल्पना की गई है. राष्ट्रीय आय में पांच फीसद और रोजगार में सिर्फ 3.99 फीसद की बढ़ोतरी से जनता की तकलीफें बढ़ने के सिवा और किस चीज की उम्मीद की जा सकती है!

रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट से सरकार का यह झूठा दावा बेनकाब हो गया है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा महंगाई को रोकने में सफल हुई है. सीटू बार बार इस दावे को बेनकाब करती रही है. लेकिन, अब खुद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा गया है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सरकार की तथाकथित सफलता से, जनता को कोई राहत नहीं मिली है इन सारे दावों के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही गई है.

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा गया है कि थोक मूल्यों में बढ़ोतरी धीमी होने के बावजूद, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रही है जिससे कि जनता अपनी वैध आय से वंचित होती रही है. अंकों के आधार पर गणना करें तो 1985-86 के दौरान उपभोक्ता मूल्यों में 8.9 फीसद बढ़ोतरी हुई. जब कि 1984-85 में यहीं बढ़ोतरी 5 फीसद रही थी, औसत के हिसाब से भी 1984-85 तथा 85-86 में उपभोक्ता मूल्यों में 6.4 फीसद बढ़ोतरी हुई. इस प्रकार एक ओर तो जनता को कीमतों पर रोक की कहानियां सुनाई जाती रही है और दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए उसे ज्यादा से ज्यादा लूटा जाता रहा है.

कीमतों में इस बढ़ोतरी के आगे भी रूकने की संभावना नहीं है क्योंकि सरकार भारी घाटे की जिस बजट व्यवस्था पर चल रही है. इसके कारण रूपयों की सप्लाई बढ़ती रहेगी और कीमतें भी बढ़ती ही रहेगी. पिछले तीन सालों में मुद्रा की सप्लाई 17.8 फीसद सालाना की औसत दर से बढ़ी है. रिजर्व बैंक ने चालू साल के दौरान मुद्रा सप्लाई के मामले में सावधानी बरतने का आग्रह जरूर किया हैं. लेकिन जब सरकार के गजट में भारी घाटे का प्रावधान हो तो सावधानी क्या करे लेगी.

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में 1986-87 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सुधार का वादा किया गया है. लेकिन, सचाई यह है कि औद्योगिक उत्पादन की हालत खस्ता है. आयातों को उदार बनाए जाने के कारण औद्योगिक गतिरोध तथा उद्योगों के बंद होने की प्रक्रिया तेज हुई और क्षमता उपयोग की स्थिति और खराब हुई है. जरूरत से ज्यादा आयातों के शिकार होनेवाले उद्योगों की सूची में सबसे ताजा इजाफा देश के उर्वरक उद्योग का हुआ है. पूंजी माल उद्योग भी, विदेशियों के प्रति उदारता की मार के कारण बर्बाद हो रहा है. जहां बिजली की कमी ने अपनी भूमिका अदा की है, वहीं पूंजी मालों, लौह अयस्क, इस्पात आदि के आयातों में घरेलू उद्योग के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है.

जनता की बिगड़ती आर्थिक स्थिति; उपभोक्ता मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी, जिससे कि जनता की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है; विकास परियोजनाओं पर सरकारी खर्च में कमी और आयातों को उदार बनाए जाने का मिला-जुला नतीजा यह है कि बेहतर उपलब्धि तथा राहत की कोई उम्मीद ही नहीं रह जाती है. मजदूर वर्ग तथा जनता को नए हमलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए जिनके जरिए संकट का बोझ उनके सिर पर डालने की कोशिश की जाएगी. इस सबसे एक बार फिर सुसंगत ट्रेड यूनियन कार्रवाई की आवश्यकता ही रेखांकित होती है.

फूटपरस्त ताकतें

साथियो, पिछले जनरल काउंसिल मिटिंग में हमने फूट-परस्त ताकतों के चुनौतियों से उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता पर विचार किया था. बाद में, प्रमुख ट्रेड यूनियन केन्द्रों ने इस खतरे के बारे में जनता को आगाह करने के लिए एकबद्ध होकर कदम उठाने का फैसला लिया था. पर, जनरल काउंसिल

मिटिंग के बाद के इन महीनों में कहीं-कहीं यह हमले तेज हुए हैं और कहीं इन पर कुछ हद तक रोक लगाया जा सका, पंजाब में स्थिति, छः महीना पहले की तुलना में अब कुछ हद तक सुधरी है. जनता की एकता का पहल अब सुरक्षा बल के हाथों है पर राज्य में स्थिति अब भी खतरनाक बनी हुई हैं क्योंकि पंजाब समझौते का प्रमुख हिस्सा अभी भी लागू नहीं किया गया. भारत सरकार पंजाब को चण्डीगढ़ सौंपने में देर कर रही हैं और इस तरह खालिस्तानियों के पृथकतावादी गतिविधियों के खिलाफ पंजाब की जनता को लामबन्द करने का एक महत्वपूर्ण हथियार खो दिया है. नतीजतन बरनाला मन्त्री-मण्डल में आए डगमगाहट में इसके कई सदस्य इस तरह के गतिविधियों में लिप्त हुए जो राष्ट्रीय एकता के हित के खिलाफ है और इससे आतंकवादी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है.

समझौते को सच्चाई से लागू करने के आधार पर ही और साथ ही साथ खालिस्तान के नाम पर काम कर रही इस हत्यारे गिरोह के हरकतों के खिलाफ तमाम राष्ट्रीयतावादी और जनवादी शक्तियों को लामबन्द करने पर ही पंजाब संकट का समाधन किया जा सकता है. पंजाब में राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष को सिर्फ कानून व व्यवस्था मानकर चलने से जीता नहीं जा सकता. जनता को राजनीतिक रूप से लामबन्द करना तथा आतंकवादियों को अलग-थलग करना ही मूल हथियार होना चाहिए. यह खुशी की बात है कि पंजाब के मजदूरवर्ग, आम तौर से सांप्रदायिक और पृथकतावादी अपीलों को दृढ़ता से ठुकराते हुए राष्ट्रीय और वर्गीय एकता के प्रति दृढ़ समर्थन दिखाया है. इसका प्रतिफलन उस समय हुआ जब केन्द्रीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल का सभी जाति एवं संप्रदाय के हजारों मजदूरों ने—जिनमें अधिकतर सिख समुदाय के थे—जोश-खरोश के साथ स्वागत किया.

मजदूरवर्ग को यह समझना होगा कि पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला एवं हत्या, अन्य राज्यों में सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है. इसे अन्य राज्यों में सिखों के खिलाफ हिन्दू सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है ताकि सांप्रदायिक लाइन पर देश का बंटवारा होता रहे और अल्पसंख्यक सिखों को पंजाब में बसने और हिन्दुओं को पंजाब छोड़ने में मजबूर किया जा सके. यह मानना होगा कि पंजाब एवं अन्य राज्यों में जनता का व्यापक हिस्सा ने सांप्रदायिक एकता के लिए भारी संयम और प्रशंसापूर्ण चिंता का इजहार करते हुए इन साजिशों में फंसने से इंकार कर दिया. पंजाब में हत्या की कार्रवाई एक संगठित गिरोह का है और जनता इनके साथ नहीं है. इसी तरह पंजाब के बाहर सांप्रदायिक हरकतें कुछ हिंदू सांप्रदायिक तत्वों द्वारा छेड़ा जा रहा है जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं. यद्यपि जनता का व्यापक हिस्सा कभी-कभी क्षुब्ध हुए हैं पर लूट और आगजनी के अभियान में शामिल नहीं हुए. यह शर्म की बात है कि बी जे पी नेताओं ने दिल्ली और अहमदाबाद दोनों ही स्थानों में अपने बयान और कार्रवाइयों से बढ़ते सांप्रदायिक तनावों को ही उकसाया है और इस तरह कभी-कभी दंगा फसाद भड़काने में मदद दिया है.

फूटपरस्त एजेंसियां, बाहरी पैसे और मदद से, अब अपने हरकतों का एक नया सिलसिला प. बंगाल के दार्जिलिंग जिला में गोर्खालैंड आंदोलन छेड़कर शुरू किया है. इस आंदोलन के नेता ने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विदेशी सरकारों पर अपनी निर्भरता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा हैं. इसने नेपाल, पाकिस्तान सहित कई देशों के सरकारों से अपने इस हीन उद्देश्य के प्रति समर्थन मांगा है. पाकिस्तान से मदद मांगने की उन्हें उत्साह इसलिए हुआ क्योंकि वह जानता है कि सिख आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसा और प्रशिक्षण मिल रहा है.

यह समानरूप से एक अलगाववादी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन है जिसे जनता की मदद से ही शिकस्त दिया जा सकता है. इस आंदोलन के नेताओं ने आगजनी और हिंसा की मुहिम शुरू कर दिया है जिसके कारण कई बार उनके हिंसक जुलूस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी है. हाल ही में ये हमारे कार्यकारिणी के सदस्य तथा इस जिला के संसद सदस्य आनन्द पाठक का घर जला दिये हैं. यह अपार खुशी की बात है कि प. बंगाल के तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस(आई) भी शामिल है, ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय एकता के हित के खिलाफ करार देते हुए इसका विरोध किया है. बहरहाल, कांग्रेस(आई) के कुछ नेताओं ने जैसे उस संगठन के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह, दुरंगी चाल चल रहे है और बता रहे हैं कि इस आंदोलन को राष्ट्र-विरोधी नहीं माना जाना चाहिए. यह राष्ट्रीय एकता के प्रति विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है. यह आश्चर्य की बात है कि इस तरह के लोग उस कांग्रेस(आई) संगठन के उंचे पद पर आसीन है जो राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा और वफादारी का दावा करते हैं और जिनकी सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय अखण्डता पर सम्मेलन बुलाकर लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह भारतीय एकता को बरकरार रखने के लिए गम्भीररूप से वचनबद्ध है.

प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को यह समझदारी थी कि दार्जीलिंग जिला के नेपाली भाषी लोग पिछड़ेपन के शिकार हैं और देश के बाकी लोगों की तरह ही उन्हें भी रोजगार और आर्थिक कठिनाइयों की शिकायत है. साथ ही वे इस बात से भी वाकिफ थे कि उनके कुछ अन्य विशेष समस्याएं भी हैं जिसे सुलझाना है ताकि नेपाली भाषी लोगों को एकता और अपनी पहचान और प्रतिष्ठा का एहसास हो. इसलिए, उन्हें आर्थिक राहत दिलाने और उनके जीवनस्तर में सुधार के लिए चलाए गए कार्यक्रम के साथ-साथ वाम मोर्चा सरकार ने नेपाली भाषा को राज्य की सरकारी भाषाओं में एक भाषा का दर्जा दिया है. राज्य सरकार ने नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता दिए जाने और इस क्षेत्र को स्वायत्तता दिए जाने के लिए

कानूनी प्रावधान के लिए भी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव दिया है. अगर केन्द्र सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करली होती तो नेपालीभाषी जनता को गुमराह करने की इन प्रतिक्रियावादी नेताओं की क्षमता काफी हद तक कमजोर हो जाता.

पंजाब के विपरीत इन प्रतिक्रियावादी तत्वों का मुकाबला करने और उन्हें अलग-अलग करने की संघर्ष में सी पी आई(एम) तथा सीटू अपने सम्पूर्ण ताकत को लामबन्द करने की स्थिति में है. सीटू यूनियनों के समर्थक चाय-बागान मजदूरों तथा सी पी आइ(एम) के पीछे चलने वाली जनता एवं मजदूरवर्ग, इन पृथकतावादी ताकतों के साजिशों को शिकस्त देने के लिए नेपाली भाषी लोगों के बीच जबर्दस्त अभियान चलाकर उन्हें इन साजिशों के बारे में जागरूक कर रहे हैं. इन संगठनों द्वारा हाल में दिए गए बन्द के आह्वान के समर्थक में विभिन्न भाषा-भाषी दसियों हजार चाय बागान मजदूरों ने इन प्रतिक्रियावादी तत्वों की आतंक की मुहिम का जबर्दस्त विरोध का इजहार किया. यहां केवलमात्र प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षाबल के गतिविधियों पर ही पूरी तरह निर्भरशील नहीं रहा गया. इन विघटनकारी तत्वों के चंगुल में फंसे लोगों को छुड़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष छेड़ा गया हैं. यह इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि ट्रेड यूनियनों एवं वाम शक्तियों का एक मजबूत और व्यापक समर्थन है जिसे राजनीतिक संघर्षों के जरिये हासिल किया जा सका है. जनता के बीच की यह वर्गीय शक्ति ही केवल फूटपरस्त की ताकतों को निर्णायकरूप से शिकस्त दे सकती है.

सभी सीटू यूनियनों तथा समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को, वाम मोर्चे के पीछे लामबन्द चाय बागान मजदूरों तथा नेपाली-भाषी जनता को, भारत की एकता की रक्षा के लिए बहादुरी के साथ संघर्ष चलाने के लिए हार्दिक बधाई देनी चाहिए और उनकी हर कार्रवाई को अपना पूर्ण समर्थन देना चाहिए.

इससे यही साबित होता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को, इससे पहले कि वक्त निकल जाय, फूटपरस्त ताकतों को बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए अपनी सारी कतारों को लामबन्द करना चाहिए. अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन एकजुट होकर, फूटपरस्त ताकतों का सक्रिय ढंग से मुकाबला करने के लिए, फैक्ट्रियों तथा दफ्तरों में उनका मुकाबला करने के लिए, जुलूसों तथा बन्द के जरिए उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए, समूचे मजदूरवर्ग को लामबन्द करे, तो यह तय है कि फूट की ताकतों के पांव उखड़ जाएंगे और देश की एकता बची रहेगी.

साथियों, मैं आपका ध्यान हाल की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर आकृष्ट करना चाहूंगा जो तनावपूर्ण होता जा रहा है. इसका श्रेय अमरीकी साम्राज्यवादियों के युद्ध साजिशों को जाता है. इन युद्धोन्मादियों का ताजातरीन उपलब्धी लगता है एक नए उपकरण का विष्फोट है जिससे वे अन्तरिक्ष युद्ध के बारे में आश्वस्त हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि युद्ध को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाना एक फायदेवाली बात है. और यह सब विश्व के तमाम शांतिप्रिय जनवादी ताकतों एवं समाजवादी खेमों के जबर्दस्त विरोध को अनदेखा करते हुए किया जा रहा है, जबकि विश्व के शांतिप्रिय लोग अन्तरिक्ष युद्ध के इन साजिशों की भर्त्सना कर रहे हैं और सोवियत संघ की ओर से का. गोर्बाचेव द्वारा पेश किए शांति प्रस्तावों की सराहना कर रहे हैं.

सोवियत संघ द्वारा नाभिकीय अस्त्रों एवं मानव विनाश के अन्य हथियारों को नष्ट किए जाने के लिए पेश किए गए विभिन्न प्रस्तावों से विश्व शांति आंदोलन को एक जबर्दस्त समर्थन मिला और विश्व शांति की रक्षा के लिए विश्व जनमत के दृढ़ता और संकल्प को मजबूती प्रदान किया है. छः गुट-निर्पेक्ष देशों की सरकारों द्वारा की गई अपील के प्रति सोवियत संघ की सकारात्मक प्रतिक्रिया और नाभिकीय परिक्षण पर उनके खुद के द्वारा एकतरफारूप से लगाए गए प्रतिबन्ध की अवधि को बढ़ा देने के कारण साम्राज्यवादियों को अपनी चाल बदलने में मजबूर होना पड़ा. गुट निर्पेक्ष देशों का हरारे सम्मेलन नस्लवादपरस्त हुकूमत के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने से इंकार करनेवाली अमरीकी सरकार की रंगभेदपरस्त रवैये को और भी बेपर्दा कर दिया. दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति-योद्धाओं और उससे संलग्न देशों द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष के प्रति समर्थन दिखाकर गुट निर्पेक्ष सम्मेलन ने हर तरह के रंगभेद की नीति को खत्म करने और नस्लवाद को शिकस्त देने के लिए तीसरी दुनिया के देशों के लोगों के गहरी वासनाओं को ही सहीरूप से प्रकट किया है. अमरीका के लिए, जिसने अपने कुछ साथियों की मदद से गुट निर्पेक्ष खेमे को विघटित करने के प्रयास में लगी थी, यह एक करारा चोट था. निकारागुआ और लिबीया के प्रति सम्मेलन का समर्थन भी अमरीका की हमलावर नीति की तीव्र भर्त्सना का ही प्रतिफलन है. भारत की सरकार ने गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा साम्राज्यवाद-विरोधी भूमिका निभाया है. अमरीका के कुछ काले कारनामो का दृढ़ता से आलोचना करते हुए उसने साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों की एकता को बढ़ाने में ही मदद की है. केन्द्र सरकार की यह नीति, जो शांति का समर्थन और अमरीकी युद्ध साजिशों का विरोध करती है, जो तीसरी दुनिया के देशों के मुक्ति आंदोलनों और आजादी का समर्थन करती है, विश्व के साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों को मजबूत करने में भारी मदद कर रही है. ट्रेड यूनियन आंदोलन और मजदूर-वर्ग को चाहिए कि वह इस सहायक मौके का फायदा उठाकर अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों के खिलाफ तथा शांति के लिए संघर्ष के प्रति समर्थन के लिए मजदूरवर्ग को लामबन्द करें. केन्द्र सरकार की यह नीति मजदूरवर्ग को अपना एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने के लिए कार्रवाई करने का एक पर्याप्त मौका ला दिया है.

साथियो, हमें समझना चाहिए कि शांति के लिए संघर्ष में हमारी योगदान बहुत कम है. इसमें शक नहीं कि हम इस

महत्वपूर्ण समस्या पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिर भी जो होना चाहिए, उससे हम बहुत पीछे है. हमें, इस पिछड़ को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और एक-दो राज्यों में विशाल जन लामबन्दी से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए.

बहरहाल, हम पश्चिम बंगाल और केरल के हमारे साथियों को विशाल शांति रैलियां आयोजित करने के लिए जरूर बधाई देंगे. हम, शांति आंदोलन को शक्तिशाली करने के लिए और प. बंगाल तथा केरल के मिशाल का अनुकरण करने के लिए अन्य सभी राज्यों का आह्वान करते हैं. अमरीकी साम्राज्य-वादियों के हमले के शिकार निकारागुवा की जनता के समर्थन में कोष इकट्ठा करने के लिए हम प. बंगाल, केरल, तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों को बधाई देते हैं. जरूरी मदद इकट्ठा करते हुए हमारे साथियों ने एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा किया है. उनके मिसाल से, हम चाहेंगे कि दूसरे भी प्रेरित हो ताकि सीटू यह कह सके कि सचमुच इसने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने का काम को अपने हाथों में लिया है.

साथियों, अंत करने से पहले मैं आपका ध्यान, भारत को चारों ओर से एक शत्रुतापूर्ण माहौल तथा सरकारों से घेरे रखने के प्रयासों की ओर खींचना चाहूंगा. पश्चिमी सरहदों पर पाकिस्तानी सेनाओं की भारी जमायत हो रही है. पाकिस्तान को लगातार अस्त्रों से लैस कियां जाना और फौजी हुकूमत की उजड्डताभरी और उकसावेपूर्ण कार्रवाइयों को बढ़ावा देना— यह सभी, स्थिति को नियन्त्रण से बाहर की एक तनावपूर्ण बिंदु पर पहुंचाने के लिए की जा रही है. फौजी हुकूमत, जिनपर आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार देकर पंजाब में भेजने का आरोप है, अपने काले कारनामों से बाज नहीं आए. वह इन आरोपों का खण्डन करने के लिए कोई प्रयास तक नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि प्रशिक्षण कैम्पों की स्थिति तथा प्रशिक्षण पानेवाले आतंकवादियों की सही संख्या तक की जानकारी सबको है जिसे वह इंकार नहीं कर सकती. अंतर्राष्ट्रीय वसूलों और नियमों का यह खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन और इस तरह के हमलावर कार्रवाई अमरीकी साम्राज्यवादियों के मदद और उकसावे के कारण बेरोक-टोक जारी है.

हालमें एक और कायरतापूर्ण और जघन्य कार्रवाई पाकिस्तान में वहां के हुकूमत की मिलीभगत में हुई है. पान अमरीकी विमान के अनेक भारतीय यात्रियों की हत्या जानबूझ कर रची गयी एक उकसावे की कार्रवाई है ताकि दोनों देशों के बीच तनाव तथा शत्रुता का वातावरण पैदा किया जा सके. गौरतलब है कि अपहरण कर्ताओं ने केवल भारतीय यात्रियों को ही निशाना बनाया जबकि उनका घोषित लक्ष्य था अमरीकी कारनामों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का. और जिस तरह अपहरण कारियों ने हवाई जहाज पर कब्जा किया यह उनके और अधिकारियों के बीच मिलीभगत की ओर ही इशारा करता है. यद्यपि कुछ भारतीय, अमरीकी नागरिक थे, पर उसके लिए रीगन प्रशासन जरा भी चिंतित या क्षुब्ध नहीं थे. उल्टे उसने स्थिति पर उठाए गए कदम के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों की तारिफ ही की. यह अपहरणकारियों को उनके निशानेबाजी के लिए तारीफ करने के सिवाय और क्या है.

भारत सरकार और राजीव गांधी ने जायज रूप से पाकिस्तानी प्रशासन के इस कार्रवाई को गैरजिम्मेदाराना और उपेक्षापूर्ण ठहराया. इसी तरह उन्होंने यह भी ठीक कहा है कि भारतीय हवाई जहाज के अपहरण कारियों को पाकिस्तान द्वारा दिए गए संरक्षण और उकसावा ही हाल के इस आतंक-वादी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है. भारतीय लोगों की हत्या, तनाव बनाए रखने की युद्ध की मुहिम का ही हिस्सा है जो अमरीका की मदद से फौजी हुकूमत भारत के खिलाफ चलाते रहे हैं. यह एक खतरनाक स्थिति है जो किसी भी दिन दोनों देशों की जनता को अपनी चपेट में ले सकती है. भारत के मजदूर वर्ग को इस स्थिति से सम्पूर्ण रूप से वाकिफ रहना होगा और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.

स्थिति दोनों देशों के लिए लाभदायक ढंग से बदली जा सकती है, बसर्ते दोनों देशों की जनता अपनी मैत्री तथा साझा शत्रु की साजिशों को विफल करने के अपने निश्चय पर कायम रहे. सीटू तथा मजदूर वर्ग को, फौजी निजाम के खिलाफ पाकिस्तान की जनतांत्रिक शक्तियों द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष को पूरा-पूरा समर्थन देना चाहिए. पाकिस्तान की जनतांत्रिक जनता की सफलता तथा पाकिस्तान में जनतंत्र की बहाली से, दोनों देशों के बीच मैत्री के रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिशों की हार होगी.

साथियों, मजदूर इस बात से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है कि त्रिपुरा में आतंक की मुहिम चलाने वाले टी एन वी गिरोहों को बंग्लादेश में प्रशिक्षित किया जा रहा है. वहां के फौजी निजाम, संघर्षरत चकमाओं एवं जनजातियों को रोकपाने में व्यर्थ होकर उन्हें भारत की सीमाओं के अन्दर धकेल देते हैं और इसके साथ ही देश में आतंकवादी टी एन वी गिरोह को भी भेज देते हैं.

श्रीलंका में शांतिपूर्ण समझौते के वादों के बीच नरसंहार की मुहिम जारी है. जयवर्द्धन सरकार दुरंगी चाल चल रही है. एक ओर तो टी यू एल एफ से बातचीत चलाती है जबकि दूसरी ओर तमिलों पर सैनिक हमले तेज कर देती है. भारत की जनता एवं मजदूर वर्ग श्रीलंका के बहादुर तमिलों के प्रति सम्पूर्ण सहानुभूति का इजहार करती है. एक सैद्धांतिक दृष्टि-कोण अपनाने के लिए, सी आई टी यू श्रीलंका की कम्युनिस्ट पार्टी एवं वाम संगठनों की सराहना करती है. भारत सरकार ने श्रीलंका को यह आश्वासन दिया है कि न तो इस देश की

(शेष पृष्ठ 20 पर)

गोवा

वाटर फ्रंट श्रमिकों का सम्मेलन

मरमा गोवा वाटर फ्रंट श्रमिकों का सम्मेलन 17 अगस्त को वास्को के एम. पी. टी. हॉल में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू के सचिव तथा वाटर फ्रंट वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एम. एम. लारेंस ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद की युद्ध साजिशों के बारे में एवं दक्षिण अफ्रीकी जनता के मुक्ति आंदोलन के बारे में खुलासा किया. राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में बोलते हुए उन्होंने पंजाब की स्थिति, गोर्खालैंड के लिए चलाए जा रहे आंदोलन राजीव गांधी की नई आर्थिक नीति बढ़ते रोजगारी व महंगाई आदि की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा.

यूनियन की गतिविधियों के बारे में लूइसा परेरा द्वारा पेश की गई रिपोर्ट कुछ संशोधन के साथ पारित किया गया. सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण सवालों पर प्रस्ताव पारित किए गए. अंत में यूनियन के अध्यक्ष गोपी नाथ वामन राव एवं कामरेड प्रभाकर दोंदे ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया.

कपड़ा मजदूरों का सम्मेलन

चौगले टेक्सटाइल मिल्स के मिल मजदूर यूनियन, गोवा (सीटू) का चौथा सम्मेलन 24 अगस्त को वास्को में संपन्न हुआ जिसमें 75 प्रतिनिधियों ने शिरकत की. सीटू राज्य कमेटी के अध्यक्ष सिताराम मांजरेकर द्वारा झंडा फहराए जाने और शहीद वेदी में फूल मालाएं चढ़ाने के बाद प्रभाकर दोंदे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. यूनियन के अध्यक्ष पूंडालिक नायक ने रिपोर्ट पेश की. सम्मेलन का कई विरादराना संगठनों के प्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया जिसमें रोक फर्नान्डिज (पोर्ट एंड डक), थलमान परेरा (एस एफ आई) निकोलेम (विटा इंडस्ट्रीज) प्रमुख थे. सम्मेलन ने, नई कपड़ा नीति, नई आर्थिक नीति, युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद आदि पर प्रस्ताव पारित किया.

बुल्गारिया टी यू सी के अध्यक्ष भारत आयेंगे

भारत स्थित बुल्गारिया जनवादी गणराज्य दूतावास के प्रथम सचिव दोको डोकाव, 5 सितम्बर को सीटू केन्द्रीय कार्यालय पर आए. बातचीत के दौरान उन्होंने सी आई टी यू के साथ विरादराना सम्बन्ध कायम करने और उसे सुदृढ़ करने की बुल्गारियाई ट्रेड यूनियन काउंसिल के इरादों के बारे में बताया. इस सिलसिले में बुल्गारिया के ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष पीटर दुल्गेराव अगले दिसम्बर में भारत आएंगे और सीटू केन्द्रीय कार्यालय में आकर सीटू नेताओं से बातचीत करेंगे. दोस्ताना सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए का. डोकाव ने दोनों संगठनों के बीच अपने पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों का आदान प्रदान के लिए भी उत्सुकता जाहिर की. सीटू के सचिव पी.के. गांगुली ने अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पैमाने पर एकजुट मजदूर वर्ग आंदोलन के निर्माण में सीटू के दृष्टिकोण और गतिविधियों के बारे में उन्हें बताया और सी आई टी यू मासिक मुखपत्र वर्किंग क्लास तथा वाइस आफ दि वर्किंग ओमैन की एक कापी भी उन्हें दी.

(पृष्ठ 10 का शेष)

जनता और न ही सरकार श्रीलंका का विघटन का समर्थन करती है. वह तो सिर्फ एक शांतिपूर्ण समझौता और तमिल अल्पसंख्यकों की जायज अधिकारों की मान्यता चाहती हैं.

तमिलों का संघर्ष और उसके प्रति भारत का समर्थन, जयवर्द्धने सरकार और भारत के संबन्ध तनावपूर्ण बना दिये हैं. साम्राज्यवादी ताकतें इस मौके का फायदा उठाकर दोनों देशों के बीच सम्बन्ध को स्थाई रूप से बिगाड़ना चाहते हैं. तमिलनाडु में सीटू यूनियनें तथा उनके नेतृत्व में मजदूर, राज्य में कुछ तत्वों द्वारा कट्टरपंथी भावनाएं भड़काये जाने का विरोध करते रहे हैं और इसके साथ ही श्रीलंका के तमिलों के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं. इस मामले में कट्टरता, अमरीकी साम्राज्यवादियों के ही हाथ मजबूत करती है, जो समस्या को देशों के बीच झगड़े की दिशा में मोड़ना चाहते हैं. ताकि श्रीलंका को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले सकें.

सभी राज्यों में मजदूर वर्ग तथा सीटू यूनियनों को, फूट-परस्त ताकतों तथा साम्राज्यवाद की अस्थिरता पैदा करने की साजिश का मुकाबला करते हुए, ऐसे कट्टरपंथी समाधानों का प्रतिरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

संपादक मंडल

पी. राममूर्ति (चेयरमेन)

मनोरंजन राय, नीरेन घोष,

एम. एम. लारेंस, पी. के. गांगुली

एम. के. पंधे (सम्पादक)